

तारीख हुक्म	6/11/2024-2024/157 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मनोहर (राज/श्रीमिष्टी)	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	--

17/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।
P.O साहब दीनर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली एवं आदेशानुसार दिनांक 11/10/23

11/07/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में तहसीलदार नीमकाथाना ने वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का गलत नाम "राजेन्द्र पि० गणेश" की जगह "सुरेश कुमार पि० गणेशराम" दुरुस्त किया जाना उचित बताते हुए नाम दुरुस्त किये जाने की अनुशंषा की थी एवं इसी अनुसार उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने भी प्रा० पत्र स्वीकार कर दुरुस्ती का आदेश दिया था। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं० 2 का नाम दुरुस्त करने की बजाय प्रार्थी सं० 1 के सही नाम "मनोहर पुत्र गणेश" की जगह "सुरेश पुत्र गणेश" दर्ज कर दिया गया। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात से होती हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में आदेश इस आशय का जारी किया जाता है कि:-

आदेश


तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम शिव नगर पटवार हल्का डेहरा जोहडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 89, 95 कुल किता 2 कुल रकबा 2.65 है० एवं तन ग्राम बंधावाला भोपालपुरा पटवार हल्का डेहरा जोहडी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की
तामील में जारी हुए

आराजी ख. नं. 285, 286 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 में प्रार्थीगण का गलत दर्ज नाम "सुरेश कुमार पुत्र गणेशराम व राजेन्द्र पुत्र गणेश" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः "मनोहर लाल सैनी व सुरेश कुमार सैनी पुत्र गणेश राम सैनी" दुरुस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना